फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

सताराम सरकार

~~[illegible]~~ बनाम ~~[illegible] वगैरा~~

किस्म मुकदमा ....225.............................. मुकदमा नंबर..............................10..................सन.......21.............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.02.2021	यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर आहोर द्वारा दावा संख्या 19/2012 बउनवान सताराम बनाम शांताराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट ने प्रकरण में एडमिशन पर बहस करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम गोदन के वर्तमान खसरा नंबर 380, 831 से 835 की आराजी शान्ताराम वगैरा अन्य खातेदारान के नाम चला आ रहा है जबकि वास्तव में उक्त भूमि अपीलांटगण के दादा तेजीया पुत्र जेता के नाम से पूर्व राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में एक वाद 19/2012 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अपीलांटगण के पूर्वज तेजीया पुत्र जेता को पूर्व राजस्व रेकर्ड की भांति संपूर्ण आराजी का खातेदार घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.06.2015 द्वारा वादग्रस्त आराजी का खातेदार तेजींया पुत्र जेता कौम मेणा निवासी गोदन को घोषित किया जाकर रेस्पोडेन्ट तहसीलदार आहोर को अमल दरामद करने हेतु आदेश पारित किया गया। उक्त निर्णय की पालना होने से पहले तेजीया पुत्र जेता का देहान्त हो गया एवं इस दरम्यान करीब 5 वर्ष की समयावधि में तेजीया के एकमात्र बेटे गणेशजी एवं पौत्र अचलाराम एवं पोलाराम का भी देहान्त हो गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना अपीलांटगण करवाना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाना न्यायसंगत है। अत उक्त प्रकरण एडमिशन स्टेज पर आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है। अत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जकार वादग्रस्त आराजी को अपीलांटगण के नाम खातेदार घोषित किया जावे। एवं तहसीलदार को राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान करावे। वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.06.2015	

द्वारा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का हवाला देते हुए अपीलांटगण का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया गया था। जो कि कानूनन पूर्णतया विधिसम्मत है। धारा 42 के प्रावधानो के तहत किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की आराजी किसी भी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है। प्रकरण में अपीलांटगण के पूर्वज तेजीया, गणेश, अचलाराम एवं पोलाराम का देहान्त हो चुका है। अपीलांटगण तेजीया के जायज वारिसान होने से वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत प्रकरण एडमिशन स्तर पर स्वीकार किया जाता है एवं अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 के अनुसरण में ग्राम गोदन तहसील आहोर के वर्तमान खसरा नंबर 380, 831 से 835 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार आहोर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांटगण के नाम ग्राम गोदन तहसील आहोर के वर्तमान खसरा नंबर 380, 831 से 835 की संपूर्ण आराजी का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली